

## मुख्तार अंसारी गिरोह के 06 सहयोगियों सहित 25 शातिर अपराधियों के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 09.10.2020 को, गैंग बनाकर विभिन्न प्रकार की अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त 25 शातिर अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही थाना कोपागंज, सरायलखंसी, दक्षिणटोला, घोसी, मुहम्मदाबाद, मधुबन पुलिस द्वारा की गयी है जिनका विवरण निम्नवत है-

### **थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा- (मुख्तार अंसारी गिरोह के सहयोगी)**

1. श्यामलाल सोनकर उर्फ लिल्लू पुत्र जगरनाथ सोनकर निवासी बलिया मोड़ कृष्णबिहार कालोनी थाना सरायलखंसी जनपद मऊ। (गैंग लीडर)
2. विजय सोनकर पुत्र दया सोनकर निवासी कप्तानगंज थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।
3. प्रमोद कुमार हरिजन पुत्र लालू राम निवासी विसूनपुरा सरसेना थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।
4. सुनील सोनकर पुत्र मिठाई लाल सोनकर निवासी रजपुरा थाना घोसी जनपद मऊ।
5. अनिल कुमार उर्फ अशोक कुमार गुप्ता पुत्र सन्तोष गुप्ता उर्फ काली प्रसाद निवासी न्यू पट्टी थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर।
6. संदीप कुमार पुत्र रामकृष्ण साहनी निवासी बहादुरगंज थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर।

### **थाना कोपागंज पुलिस द्वारा-**

7. कमल भारती पुत्र रामपत राम निवासी भांवरकोल थाना कोपागंज मऊ। (गैंग लीडर)
8. गणेश भारती पुत्र पतिराम निवासी भवरकोल थाना कोपागंज मऊ।
9. रवीन्द्र गौतम पुत्र स्व० बसन्त राम निवासी भदसा मानवपुर थाना कोपागंज मऊ।

### **थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा-**

10. पिताम्बर त्रिपाठी पुत्र स्व० फणीशचन्द्र त्रिपाठी निवासी खासडीह थाना अहरौरा मिर्जापुर। (गैंग लीडर)
11. सद्दाम हुसैन पुत्र खुर्शीद आलम निवासी परसथुआ थाना परसथुआ जनपद रोहतास बिहार।

### **थाना घोसी पुलिस द्वारा-**

12. सत्यपाल यादव पुत्र रविन्द्र यादव निवासी सिरसिया थाना घोसी जनपद मऊ। (गैंग लीडर)
13. प्रदीप यादव उर्फ पहलवान पुत्र दिलीप यादव निवासी उसरी खुर्द थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
14. अजय यादव पुत्र रमाकान्त यादव निवासी मुजार बुजुर्ग थाना घोसी जनपद मऊ।
15. रविन्द्र यादव पुत्र रमाकान्त यादव निवासी रसूलपुर थाना घोसी जनपद मऊ।
16. लालू यादव पुत्र सूर्यबली यादव निवासी कपारगढ़ थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़।
17. इश्माईल पुत्र इसराईल निवासी नवापुरा थाना घोसी मऊ। (गैंग लीडर)
18. सिद्धार्थ उर्फ धर्मकीर्ति पुत्र चुन्नू राम निवासी कस्बा खाश थाना घोसी मऊ।
19. साहब अली पुत्र मो० शफीक निवासी भिखारीपुर थाना घोसी मऊ।
20. मनीष गौड़ पुत्र कृष्ण मुरारी निवासी कस्बा खाश थाना घोसी मऊ।

### **थाना मधुबन पुलिस द्वारा-**

21. आनन्द कुमार सिंह पुत्र मन परसन सिंह निवासी ताड़ी बड़ागांव थाना नगरा जनपद बलिया। (गैंग लीडर)
22. मो० महताब पुत्र अलीशेर मोहम्मद निवासी मझौली थाना सलेमपुर जनपद देवरिया।

### **थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा-**

23. अनिल यादव पुत्र राम सरीख यादव निवासी शेखवलिया थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ। (गैंग लीडर)
24. रविन्द्र यादव पुत्र रमाकान्त यादव निवासी रसूलपुर थाना घोसी जनपद मऊ।
25. लालू उर्फ गोलू यादव पुत्र सूर्यबली यादव निवासी कपारगढ़ थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़।

**सीएए/एनआरसी विरोध प्रदर्शन के दौरान हुये आगजनी व हिंसा में शामिल शातिर अभियुक्त के विरुद्ध की गयी एनएसए की कार्यवाही—**

दिनांक 16.12.2019 को थाना दक्षिणटोला क्षेत्रान्तर्गत सीएए/एनआरसी विरोध प्रदर्शन के दौरान हुये आगजनी व तोड़-फोड़ मामले में शामिल जिला कारागार में निरुद्ध शातिर अभियुक्त **शहरयार पुत्र इशरत निवासी बुलाखीपुरा थाना कोतवाली मऊ** के विरुद्ध एनएसए की कार्यवाही की गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट मऊ द्वारा दिनांक 08.10.2020 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्धी आदेश पारित किया गया जिसका तामिला दिनांक 08.10.2020 को मऊ पुलिस द्वारा जिला कारागार में कराया गया।

**03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—**

आज दिनांक 09.10.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **घोसी** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 822/20 धारा 380,411 भादवि0 में वांछित अभियुक्त अयान पुत्र मु0 सकिम, विकाश पुत्र मून्ना निवासीगण अहमदपुर असना थाना घोसी, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा अन्धा मोड़ के पास से मु0अ0सं0 526/20 धारा 363,366,376 भादवि0 तथा 3/4 पोक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त अवनीश पुत्र विजय निवासी महुआवारी ख्वाजाजहांपुर थाना कोतवाली मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

**50 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ 02 गिरफ्तार—**

आज दिनांक 09.10.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **घोसी** पुलिस द्वारा बड़ागांव के पास से राजेन्द्र पुत्र शंकर निवासी बड़ागांव थाना घोसी मऊ के कब्जे से 40 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब, तथा थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा गरीब पुत्र शेरू निवासी देवारा घूरू थाना मधुबन मऊ के कब्जे से 10 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरादम कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सम्बन्धित पर आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालन न्यायालय किया गया।